न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1374/2026

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना कांड सं0–28/2026 से उत्पन्न
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 117(1), 303(2), 3(5) बी.एन.एस.
एवं धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w) अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

मुन्ना राजभर व अन्य..... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री अरूण कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

10.06.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. मुन्ना राजभर 2. पूजा देवी 3. दिलीप राजभर 4. चन्द्रावती देवी की ओर से अनु.जा./अनु.ज.जा. थाना कांड सं0–28/2026, अंतर्गत धारा–115(2), 117(1), 126(2), 303(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w) अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका फुल कुमारी देवी के द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक–09.05.2026 को दोपहर करीब 1:00 बजे सूचिका के ही गॉव के 1. दिलीप राजभर 2. चन्द्रावती देवी 3. पूजा देवी सूचिका की कुछ जमीन पर कब्जा करके घर बनवा रहे थे तभी इस बात की जानकारी सूचिका और सूचिका के पति को हुई तो उक्त नामजद व्यक्तिओं को सूचिका और सूचिका के पति समझाने के लिए गये कि वे लोग उसकी जमीन क्यों कब्जा कर रहे है, पहले जमीन की नापी सही से करा ले तब आप अपना घर बनवाए। इसी बात पर उक्त नामजद व्यक्तिओं ने सूचिका और सूचिका के पति को जाति सूचक गाली देते हुए बोलने लगे कि साला गोंड–सोंड, दुसाध, सियार, नीच जाति वाला उन्हें समझाता है और वे लोग उसकी जमीन पर घर बनवाएंगे उसे जो करना है कर ले, और इसी बीच चन्द्रावती देवी अपने बेटे 4. मुन्ना राजभर को फोन की, तो मुन्ना राजभर और उसके साथ 5. पूजा देवी अपने मोटरसाईकिल से वहॉ आकर सूचिका को जान से मारने के प्रयास में सूचिका पर मोटरसाईकिल चढ़ा दिये, जिससे सूचिका के कमर व पूरे शरीर में चोट आ गया और सूचिका बुरी तरह से घायल हो गयी। उसके बाद सभी नामजद व्यक्तियों ने सूचिका पर अचानक से जानलेवा हमला कर दिया। सूचिका एवं सूचिका के पति एवं बच्चे पर लाठी–डंडा व बांस से हमला कर दिए और लाठी–डंडा, लात–मुक्का से सूचिका एवं सूचिका के पति एवं बच्चे को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिए। सूचिका के पति को अकेला पाकर मुन्ना और उसका बहनोई उसे बहुत मार मारे और सूचिका एवं सूचिका के पति एवं बच्चे को जान से मारने का प्रयास किये। मारने के क्रम में उक्त लोग सूचिका के गले से सोने का मंगलसूत्र एवं सोने का कान का

लगातार

10.06.2026

झुमका नोच लिए। जैसे–तैसे गॉव के लोगों को मालूम हुआ तो वे लोग आकर सूचिका एवं सूचिका के पति एवं बच्चे को बचाए। नामजद व्यक्ति सूचिका को जाति सूचक बातें बोलकर बोलने लगे कि वे लोग उसकी जमीन पकड़कर घर बनवाएंगे उसे जो करना है कर ले। उसके बाद सूचिका एवं सूचिका के पति एवं बच्चे का ईलाज सिवान सदर अस्पताल में हुआ और सूचिका बहुत डरे–सहमे मदद के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, सिवान में गये।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उन्हें झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अन्य आपराधिक मुकद्मा दर्ज नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है और न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका वे लोग पालन करेंगे। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए अभियोग के संदर्भ में कांड दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा./अनु. ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, अनु.जा./अनु.ज.जा. थाना कांड सं0–28/2026, अंतर्गत धारा–115(2), 117(1), 126(2), 303(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w) अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया, जिसके अंतर्गत आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा सूचिका एवं सूचिका के पति एवं बच्चे के साथ मारपीट कर जख्मी करने, जाति सूचक शब्दों से संबोधित करके गाली–गलौज करने, सूचिका का सोने का मंगलसूत्र एवं कान का झुमका ले लेने तथा सूचिका को जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है। अनुसंधान के दौरान सूचिका ने अपने पुनः बयान में प्राथमिकी की घटना के समर्थन में बयान दिया है (कांड दैनिकी की कंडिका 02 में वर्णित है)। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है (कांड दैनिकी की कंडिका 5,6,7,8, में वर्णित)। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी में आये साक्ष्य से आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक मामले में अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अभियोग आकर्षित होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0)अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

लगातार

10.06.2026

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. मुन्ना राजभर 2. पूजा देवी 3. दिलीप राजभर 4. चन्द्रावती देवी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

ह0/–

(सुशील कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम

–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान